



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप- 'अ')

GP 836765

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सत्य-पत्र का प्रारूप

इस सत्र सागर (नाम अध्यक्ष) एवं अमय प्रताप सिंह (नाम सचिव) कनरा: अमय एवं सचिव मैनेजर एंग्लो संस्कृत कालेज, फतेहपुर, (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) नई बाजार, सागर, फतेहपुर (30990) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा टी0वाई0एस0 फार्मेसी कालेज (संस्थान का नाम एवं पता) सागर जगत, सान्नीनगर, फतेहपुर (30990) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सत्र-सहाय जगत, तहसील व जनपद-फतेहपुर (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में प्लॉट संख्या 81 एवं 88 रकबा कनरा: 0.2070 हेक्टेयर एवं 0.1050 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.3120 हेक्टेयर) भूमि है।

- यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
- यह कि, उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के प्लॉट संख्या 81 एवं 88 रकबा कनरा: 0.2070 हेक्टेयर एवं 0.1050 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.3120 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 14.10.2018 द्वारा पारित किया गया है।

सहस्र

अमय प्रताप सिंह

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा इन कार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।



9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3030 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टॉक की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हो अध्यक्ष

राम लाल

Dr. Anand

हो सचिव

31-3-2023

अध्यक्ष/सचिव के अक्षर प्रत्यापन हेतु
 NOTARY
Dr. Anand

02-5-2023